भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3857
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

3857. श्री तमिलसेल्वन थंगा :
डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने भूमि अभिलेखों के प्रबंधन में आधुनिकीकरण करने, भूमि/संपत्ति विवादों की गुंजाइश को कम करने और भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वर्ष 2008 में स्वीकृत राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) को वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के रूप में पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीआईएलआरएमपी ने उस उद्देश्य को पूरा कर लिया है जिसके लिए इसका पुनर्गठन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पुनर्गठित डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत क्रियान्वित/संचालित किए गए प्रमुख घटकों और गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और**(ख)** मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) को दिनांक 21.08.2008 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया था और बाद में डिजिटल इंडिया पहल के तहत केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में नवीकृत किया गया तथा केंद्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषण के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के रूप में पुनःनामित किया गया। इस स्कीम को वर्ष 2030-31 तक के लिए विस्तारित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकृत होने से भूमि अभिलेखों की अभिगम्यता और पारदर्शिता में सुधार हुआ है, जिससे भूमि/संपत्ति संबंधी विवाद कम हो रहे हैं।

(ग) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) वर्तमान में चल रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण/डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई है। दिनांक 06.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 99.90% अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है, 97.43% भू-कर मानचित्रों का डिजिटलीकरण कर लिया गया है, 77.68% भू-कर मानचित्रों को भू-संदर्भित कर लिया गया है, 69.04% भू-खंडों को विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) आबंटित किए गए हैं, 93.71% राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है और 99.96% उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है।

(घ) डीआईएलआरएमपी 3.0 के तहत प्रमुख घटक और किए जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान डीआईएलआरएमपी के तहत राज्य-वार व्यय की गई कुल धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I: दिनांक 11.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3857 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित

क्र. सं	घटक/कार्यकलाप
क. भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	
1	डिजिटलीकरण, भू-संदर्भन और विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या प्रदान करना
2	आधुनिक अभिलेख कक्ष (तहसील)
3	भूमि अभिलेख डाटा बेस में आधार संख्या का सहमति-आधारित एकीकरण तथा मोबाइल नंबर और पते को जोड़ना
4	राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण
5	कोर जीआईएस, लैंडस्टैक सॉफ्टवेयर का विकास
6	नक्शा प्रायोगिक कार्यक्रम - शहरी भूमि अभिलेख
ख. रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण	
7	रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण
8	रजिस्ट्रीकरण रिपोजिटरी
9	उप रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) का आधुनिकीकरण
ग. मूल्यांकन अध्ययन, आईईसी, प्रशिक्षण और पीएमयू	
10	मूल्यांकन अध्ययन, आईईसी और प्रशिक्षण
11	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)

अनुलग्नक-II: दिनांक 11.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3857 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित

विगत तीन वर्षों के दौरान डीआईएलआरएमपी के तहत राज्य-वार जारी निधि (रुपये लाख में)				
क्र.सं	**राज्य का नाम**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	3000.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1385.34	0.00	0.00
3	असम	2197.70	3286.35	576.87
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	325.94	259.97
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
10	जम्मूएवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	308.22	750.00	0.00
12	कर्नाटक	4236.54	3744.66	6435.52
13	केरल	181.27	1188.05	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	2335.00
15	महाराष्ट्र	338.80	0.00	0.00
16	मणिपुर	28.48	0.00	92.98
17	मेघालय	493.93	0.00	840.94
18	मिजोरम	0.00	0.00	785.21
19	नगालैंड	226.47	0.00	0.00
20	ओडिशा	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	119.25	0.00	0.00
22	राजस्थान	1149.68	0.00	522.79
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	2327.32
25	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	413.80	0.00	369.16
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1633.00
30	अंडमानएवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	117.00
32	दादराएवं नगर हवेलीतथा दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35	पुडुचेरी	0.00	0.00	28.25
36	लद्दाख	0.00	0.00	0.00
	कुल	**11079.48**	**12295.00**	**16324.00**
